

List of Attachments in New Registration and Renewal of License

Sno	Form Type	Factory Type	Attachment List
1	Form 1A	Hazardous	Flow chart / Brief description of process
2			Drawings - As per rule 3-A of Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, site plan drawn to scale not less than 1:500 and plan, elevation, cross section, of various buildings including all details relating to door, windows, ventilators, emergency exits, lay out of plant & machinery drawn to scale not less than 1:100. (Only Upload pdf generated by AutoCAD software.)
3			List of Raw material with quantity to be used in manufacturing process
1	Form 1A	Non Hazardous	Flow chart / Brief description of process
2			Drawings - As per rule 3-A of Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, site plan drawn to scale not less than 1:500 and plan, elevation, cross section, of various buildings including all details relating to door, windows, ventilators, emergency exits, lay out of plant & machinery drawn to scale not less than 1:100. (Only Upload pdf generated by AutoCAD software.)
3			List of Raw material with quantity to be used in manufacturing process
1	New Factory Registration	Hazardous	कारखाना भवन के नक्शे म.प्र. कारखाना नियमावली 1962 के नियम 3 (ए) के अनुसार साइट प्लान 1 से भी बराबर 500 से.मी. के मान (स्केल) पर एलेवेशन, सेक्शनल व्यू प्लान विथ मशीन ले-आउट 1 से.मी. बराबर 100 से.मी. के मान (स्केल) पर दरवाजे, खिडकी, वेन्टीलेटर की साइज एवं संख्या की अनुसूची के साथ।
2			सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी भवन स्थायित्व प्रमाण-पत्र निर्धारित फार्म नं. 2 पर मूलप्रति एक।
3			निर्माणी में उत्पादन प्रक्रिया संबंधी विवरण।
4			फ्लो चार्ट आफ मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस।
5			भूमि आवंटन/शेड/भवन आवंटन के संबंध में प्रमाण (लीज डीड/सेल डीड/रेन्ट डीड)।
6			औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य स्थान पर कारखाना होने की दशा में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी भूमि व्यपवर्तन आदेश की प्रति।
7			जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र अथवा भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र।
8			म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा (वाटर एण्ड एयर) जारी सहमति पत्र की प्रति।
9			भागीदारी लेख/संचालक मंडल की प्रमाणित प्रतिलिपि/प्रोप्राइटर होने की स्थिति में प्रमाण।
10			मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति।
11			ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका द्वारा जारी अनुज्ञप्ति/अनुमति पत्र की प्रति।
12			उत्पादन कार्य के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले मटेरियल/रसायनों के नाम एवं अधिकतम भण्डारित मात्रा।
13			कारखाना अधिनियम की धारा-2 सीधी में परिभाषित खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों के लिए ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान तैयार कर तीन प्रतियों में। (प्रस्तुत करने का प्रमाण)
14			कारखाना में स्थापित प्रेशर वेसल्स लिफ्टिंग मशीन आदि की सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी जांच रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर।
15			स्थापित विद्युत लोड के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जारी बिल की प्रति।
16			साल्वेंट प्लांट हेतु सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी प्लांट फिटनेस सर्टिफिकेट एवं ऑपरेटर फिटनेस सर्टिफिकेट।
17			भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत नियमानुसार जमा कराए गए कर्मकार कल्याण उपकर संबंधी जानकारी।
1	New Factory Registration	Non Hazardous	स्थापित विद्युत लोड के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जारी बिल की प्रति।
2			कारखाने में स्थापित प्रेशर वेसल्स लिफ्टिंग मशीन आदि की सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर।
3			साल्वेंट प्लांट हेतु सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी प्लांट फिटनेस सर्टिफिकेट एवं ऑपरेटर फिटनेस सर्टिफिकेट।
4			अंतिम प्राप्त लाइसेन्स।

1	Renewal of License	Hazardous	1. Application in Form 4
2			2. Copy of Challan / CTR of fees paid under head "0230 – Labour & Employment, 104 – Fees realised under the Factories Act, 1948 "
3			3. Original Factory Licence
4			4. Pressure vessel and lifting machine test report issued by competent person, if installed
5			5. In case of solvent extraction plant, plant fitness certificate issued by competent person
6			6. In case of MAH Unit, proof of submitting updated onsite emergency plan to DIHS office
7			7. In case of MAH Unit : Safety Audit Report
8			8. Proof of change in occupier / change in the name of company / change in power – to be provided, if applicable
9			9. Photograph of the Applicant
10			10. Photo identity card of the Applicant
11			11. Photo Identity of Manager
1	Renewal of License	Non Hazardous	1. Application in Form 4
2			2. Photograph of the Applicant
3			3. Photo identity card of the Applicant
4			4. Photo Identity of Manager
5			5. Copy of Bank Challan / Cyber Treasury Receipt (CTR) of fees paid under head "0230 – Labour & Employment, 104 – Fees realised under the Factories Act, 1948 "
6			6. Original Factory Licence 6. Proof of change in occupier / change in the name of company / change in power – to be provided, if applicable